

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत जिनौली तड़ी सकदीना मोटर मार्ग का निर्माण ।(लम्बाई 6.650 किमी)

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

जनपद नैनीताल में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत जिनौली तड़ी सकदीना मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.650 किमी 0 कार्य की स्वीकृति रासना देश संख्या 873 / 111(2)08-52(एम०एल०ए०) / 08 दिनांक 02.03.2009 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू-भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रासन से बार-बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त रासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम सकदेना, जिनौली, तड़ी एवं खलाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गाँवों से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गाँव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग रातीघाट बेतालघाट मोटर मार्ग के ४५ किमी 0 से सम्पर्क मार्ग में जुड़ते हुए 6.650 किमी 0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही नयी योजनों के बारें में प्रचार प्रसार हेतु इन गावों में अधिकारी/ कर्मचारी आदि संसस्थों को यातायात की सुविधा होगी, जिससे प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सकेगा। साथ ही स्थानीय ग्रामिणों को गैस आदि आवश्यकता प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे जंगलों को बचाये जाने में मदत मिलेगी। मार्ग के संरेखण में कुल 1.6275 है 0 वन भूमि प्रभावित होती है, जो आरक्षित वन एवं सिविल सोयम भूमि आती है। जिसमें विभिन्न व्यास के कुल 234 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में लगभग 65 प्रतिशत भू-भाग वनाछाति है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः 6.650 किमी 0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (आरक्षित वन लम्बाई-450मी 0) एवं (सिविल सोयम लम्बाई-1875मी 0) कुल लम्बाई 2325 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.6275 है 0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 234 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लाठीनीवि 0
निर्माण खण्ड, लाठीनीवि 0
नैनीताल।

अधिकारी अधिकारी
निर्माण खण्ड, लोकनिविधिग
नैनीताल।